

अंचल अधिकारी Prasad का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या- 405

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के डायॉक-2074/रा0, दिनांक-13.05.2016 सार्वभित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0न0निति-119/85/2308/रा0, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-भित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में नैरमजरा खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का नैरमजरा कर्मचारी एवं अधि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

भौजा- Deer थाना- 85/- खाता संख्या- 193 प्लॉट संख्या-  
रकबा- 3.23 एकड़ की भूमि जो नैरमजरा खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस भौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या- 1 के पृष्ठ संख्या- 142 पर जमाबंदी रैयत Shyam Lal के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा सार्वभित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सशम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सदा हुकूमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।



प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सशम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 16/8/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित  
अंचल अधिकारी

Prasad  
अंचल अधिकारी

तिथि	पदाधिकारी आदेश	अभ्युक्ति
19.10.20	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>उपायुक्त, धनबाद द्वारा प्राप्त निदेश एवं विभागीय पत्र संख्या-1704/रा0, दिनांक-15.07.2020 के आलोक में पूर्ण समीक्षा कर अभिलेख का निस्तारण करने का निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में पुनः जमाबंदीदार रैयत/उनके वंशज को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक-17.11.20 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"> अंचल अधिकारी, निरसा।</p>	
17.11.20	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>नोटिस का तामिला प्राप्त। जमाबंदीदार रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित/अनुपस्थित। इनके द्वारा अपने पक्ष में कोई भी राजस्व कागजात/साक्ष्य समर्पित नहीं कराया गया। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को पुनः निदेश दिया जाता है कि एक पक्ष के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर हाल खाता/प्लॉट का उल्लेख करते हुये अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक-लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक-5.12.20 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"> अंचल अधिकारी, निरसा।</p>	
5.12.20	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से विभागीय पत्रांक-1704/रा0, दिनांक-15.07.2020 में वर्णित तथ्यों के आलोक में जमाबंदी नियमितीकरण/रद्द करने से संबंधित भूमि का स्थलीय एवं राजस्व कागजातों का मिलान कर जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा-..... हेट्ट। ..... मौजा नं०-251, साबिक खाता सं०-133, साबिक प्लॉट सं०-1253, 1255 रकबा-3.73.९० जिसका हाल खाता सं०-373, हाल</p>	

प्लॉट सं-1253/255, एच.एम. रफगा-23 एच. गत सर्वे खतियान एवं हल सर्व खतियान के अनुसार नैऋत आबाद (जनाबाद बिहार/आरखण्ड सरकार) खतों की भूमि है। जमाबंदी रैवा/वराज के द्वारा दिनांक-01.01.1948 के पूर्व का कोई भी राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। जमाबंदी रैवा/वराज का उक्त भूमि पर वर्ष 1985 के पूर्व से राजस्व नहीं है। उक्त जमाबंदी को नियमितकरण नहीं की जा सकती है। इस संबंध में तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी के द्वारा पूर्व में उक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुरोध की गयी है। पुनः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा अर्बज जमाबंदीदार, 23/1/1985 को नाम से पंजी-11 में कायम जमाबंदी संख्या-142 को रद्द करने की अनुरोध की गयी है।

अतः राजस्व तथा निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुरोध के आधार पर बिहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा-4(b) के तहत पंजी-11 में कायम जमाबंदी संख्या-142 को रद्द करने हेतु अनुरोध के साथ अनिलाल मूल में भूमि सुधार एच समाहर्ता, धनबाद के माध्यम से अंतर समाहर्ता, धनबाद को भेजे।

अंचल निरीक्षक,  
बिहार।